छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) पिन– 492001
फोन नंबर :– 0771 – 4918927
Email - office.rera.cg@gov.in, website- https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक : 335/रेरा/लेखा/2026/1 रायपुर, दिनांक 10/03/2026

//सूचना//

विषय :– छत्तीसगढ़ भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 में संशोधन बाबत् प्रस्ताव।

––00––

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 9 में खण्ड (1) विक्रय अनुबंध के निर्धारित "परिशिष्ट –क" एवं नियम–14 में निम्नानुसार संशोधन किया जाना है –

क्र.	पूर्व से प्रतिस्थपित	नियम में संशोधन हेतु प्रस्ताव	औचितय
1	नियम – 9 में (1) **विक्रय अनुबंध** के "परिशिष्ट –क" में नवीन कंडिका जोड़ा जाना है।	नियम 9 में खण्ड (1) **विक्रय अनुबंध** के "परिशिष्ट –क" {विक्रय के लिए करार} की कंडिका–ठ के पश्चात् कंडिका–ड निम्नालिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :– (ड) श्री/श्रीमान ....(रेरा अभिकर्ता पंजीयन क्रमांक ....) ("अभिकर्ता") ने केवल आबंटी (Allottee) का प्रमोटर (Promoter) से परिचय कराया है और इसे इस समझौते की शर्तों या छत्तीसगढ़ रेरा (RERA) को प्रकट की गई स्वीकृत जानकारी से परे किसी भी प्रकार का आश्वासन देने वाला नहीं माना जाएगा। एजेंट को अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत होना आवश्यक है, वह आवंटी से किसी भी प्रकार की राशि एकत्रित नहीं करेगा (यहाँ सहमत दलाली/ब्रोकर कमीशन को छोड़कर) तथा कोई भी झूठा या भ्रामक वक्तव्य नहीं देगा। प्रमोटर केवल रेरा पंजीकृत एजेंट को ही संलग्न करेगा और सटीक परियोजना विवरण संचार हेतु उपलब्ध कराएगा। आबंटी एजेंट के पंजीकरण का सत्यापन करेगा और केवल लिखित रूप से किए गए खुलासों पर भरोसा करेगा। एजेंट द्वारा किसी भी प्रकार की गलत बयानी की स्थिति में, आवंटी को कानून के तहत बिना इस समझौते के अंतर्गत अधिकारों को प्रभावित किए उपाय प्राप्त करने का अधिकार होगा।	कंडिका–ड जोडा जाना आवश्यक है, ताकि आबंटी, प्रमोटर, अभिकर्ता के मध्य पारदर्शिता सुनिश्चित रहे, साथ ही समझौते की शर्तें रेरा अधिनियमों के अनुरूप प्रकट हो सके। अभिकर्ता द्वारा आबंटी को भ्रामक वक्तव्य कर राशि प्राप्त ना कर सके तथा आबंटी एवं प्रमोटर के मध्य सीधा राशि हस्तांतरण हो सके।
2	नियम–14 **लेखा पुस्तकें, अभिलेखों तथा दस्तावेजों का संधारण एवं संरक्षण**– भू–संपदा अभिकर्ता, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार लेखा पुस्तकें, अभिलेखों तथा दस्तावेजों का संधारण एवं संरक्षण करेगा।	नियम–14 **लेखा पुस्तकें, अभिलेखों तथा दस्तावेजों का संधारण एवं संरक्षण**– भू–संपदा अभिकर्ता, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार लेखा पुस्तकें, अभिलेखों तथा दस्तावेजों का संधारण एवं संरक्षण करेगा। भू–संपदा अभिकर्ता प्रतिवर्ष लेखा पुस्तकें, अभिलेखों तथा दस्तावेजों का विवरण परिशिष्ट–द (Annexure- D) में प्रेषित करेगा।	नियम में संशोधन आवश्यक है, ताकि अभिकर्ता द्वारा आबंटी/प्रमोटर से प्राप्त वित्तीय लेन–देन दलाली/ब्रोकर,कमीशन, विधि सम्मत हो, आय–व्यय की जानकारी उपलब्ध होने पर अनियमितता या धोखाधडी ना हो, अभिकर्ता एवं प्रमोटर के मध्य पारदर्शिता सुनिश्चित हो, अवैध वित्तीय लेन–देन पर नियंत्रण स्थापित हो।

उक्त संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/फर्म/संस्था को कोई आपत्ति अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत करना हो, तो वे इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपना अभिमत/आपत्ति लिखित रूप में छत्तीसगढ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों/अभ्यावेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

दैनिक भास्कर में
पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि एवं शोक संदेश
अब घर बैठे एक क्लिक या कॉल पर बुक करें
BhaskarAd.com
9772019222

पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

PSPCL

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813
वेबसाइटः www.pspcl.in, मोबाईल संख्या : 96461-18754

टेंडर इंक्वायरी नंबर 350/HPs/ED-I/S-433 तारीखः 10.03.2026

डिप्टी CE/ हाइडल प्रोजेक्ट्स, PSPCL, शेड A-3, शक्ति विहार, **PSPCL, पटियाला शानन PH, PSPCL, जोगिंदर नगर, जिला मंडी (HP) के लिए 02 नंबर 630 KVA, 11 KV/433 V ड्राई टाइप कास्ट रेज़िन स्टेशन ट्रांसफॉर्मर की साइट पर ET&C की मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सप्लाई, सुपरविज़न** के लिए ई-टेंडर इनवाइट करता है। डिटेल्ड NIT और टेंडर स्पेसिफिकेशन के लिए कृपया 13.03.2026 (11:00 AM) से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोटः यदि कोई शुद्धिपत्र और परिशिष्ट है, तो उसे https://eproc.punjab.gov.in पर ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा।

1079/12/2025-26/9324 C365/26

कार्यालय नगर पंचायत पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

Email ID: nppakhanjore@gmail.com Phone No. 07844-231036

क्रमांक/1973/लो.नि.वि./न.पं./2026 पखांजूर, दिनांक 10.03.2026

// मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना //

नगर पंचायत पखांजूर द्वारा "14वें वित्त मद" अंतर्गत आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार से प्रपत्र "अ" में तीन लिफाफा पद्धति में (निविदा प्रपत्र, अमानत राशि एफ.डी. आर.) मुहर बंद निविदायें केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से आमंत्रित किया जाता है, तिथि विवरण निम्नानुसार है:-

1. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 20/03/2026 शुक्रवार 5:00 बजे तक
2. परीक्षण उपरान्त निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि - 25/03/2026 बुधवार 3:00 बजे तक
3. निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि - 30/03/2026 सोमवार 3:00 बजे तक
4. निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि व समय - 30/03/2026 सोमवार 4:00 बजे तक

क्र	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाख में)	अमानत राशि (रूपये)	निविदा प्रपत्र शुल्क	समयावधि
01	वार्ड क्रमांक 07 में मेन रोड मुर्गी मार्केट से आराधना कांन्वेन्ट स्कुल बाउण्ड्रीवाल तक आर.सी.सी नाली निर्माण कार्य।	8.56	6420.00	750.00	03 माह

उपरोक्त कार्यों हेतु निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, विविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में नगर पंचायत कार्यालय व विभागीय वेब साईट www.uad.cg.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

टीपः- 1. ठेकेदार द्वारा 100 रुपये के नॉन - ज्यूडीशियल स्टाम्प में शपथ पत्र एवं समस्त दस्तावेजों को नोटाराईज्ड कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत पखांजूर
जिला उ.ब. कांकेर (छ.ग.)

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (वि. / यां.) मंडल, बिलासपुर (छ.ग.)

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना Portal: http://eproc.cgstate.gov.in

नि.आ.सू. दिनांक 10/03/2026 तथा Online Bid Submission की अंतिम तिथि 24/03/2026 Physical Submission Last Date 06/04/2026

ऑनलाईन निविदा प्रथम आमंत्रण

क्र.	नि.आ.सू. क्रमांक	ऑनलाईन टेण्डर नंबर	कार्य का नाम	लागत (लाख में)
1	88	186960	Supply & Installation of Fire Alarm & Fire Extinguisher at Court Building Korba, Distt. Korba (C.G.)	15.18
2	89	186963	Supply & Installation of Fire Alarm & Fire Extinguisher at Court Building Katghora, Distt. Korba (C.G.)	10.86
3	90	186965	Providing Pole Shifting and Xmer DP From Mungeli - Nandghat Road, Distt. Mungeli (C.G.)	134.87
4	91	186969	Providing Pole Shifting and Xmer DP from Mungeli - Nawagarh Road, Block-Lormi, Distt. Mungeli (C.G.)	155.29

निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते हैं।

अधीक्षण अभियंता
लो.नि.वि., (वि./यां.) मण्डल
जी-252607141 बिलासपुर (छ.ग.)

CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUTION CO. LTD.

(A Successor Company Of CSEB)

No. /SE/CIRECLE/BSP/NIT/6411 BILASPUR, DTD 23.02.2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Online Bids are invited from the registered contractors of CSPDCL at O/o CE (Project)-Class-" I & II" and above for replacement of damaged poles, conductors and cables etc. of 33 KV Network for emergency works and erection of new 33 KV Network for new service connection at: -

Sl. No.	Tender No.	Tender (Rfx no.)	Particulars of works	Due date of submission	Due Date of opening
1	T-247	8100049640	at Bilaspur (O&M) Division under S.E.(Circle) Bilaspur	16.03.2026/ 03:00 PM	16.03.2026/ 03.30 PM
2	T-248	8100049641	at Mungeli (O&M) Division under S.E.(Circle) Bilaspur	16.03.2026/ 03:00 PM	16.03.2026/ 03.30 PM

Cost of Tender Document	Rs. 2000/- (online submission)
Estimated Tender value	Rs.21.00 lakhs
EMD	Rs. 21000/- (online submission)
Pre-bid date	12.03.2026 from 03.30 noon at O/o S.E. (CIRCLE) CSPDCL BILASPUR.

The tender document can also be down-loaded from official website of the CSPDCL. For details. Visit our website : www.cspdcl.co.in/tenders/tender notice. For e-bidding.

CSPDCL Helpline No. 0771-2576672/73 (EITC.CSPDCL).https://cspc.co.in/cspc/csptrdcl/tender/etender/etenderindex.htm

S.K. JANGDE (4450846)
Superintending Engineer (Circle)
CSPDCL:Bilaspur

SAVE ELECTRICITY

CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUTION CO. LTD.

(A Successor Company Of CSEB)

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER (CIRCLE) BILASPUR

No./SEB/Circle/Tender./ 6410 Bilaspur /Dtd. 23.02.2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Online bids are invited from the registered contractors of CSPDCL at O/o CE (Project)-Class-III "B" and above for Empanelment of contractors for the work of Emergency works – replacement of damaged poles, conductors and cables etc. of 11 KV/LT Network for emergency works and erection of new 11 KV/LT Network & installation of DT for new service connection at :-

Sl. No.	Tender No.	Tender (RFX No.)	Particulars of works	Due date of submission	Due Date of opening
1.	T-250	8100049638	At Sargaon D/c.	16.03.2026/ 03.00 PM	16.03.2026/ 03.30 PM
2.	T-251	8100049639	At Marwahi D/c.	16.03.2026/ 03.00 PM	16.03.2026/ 03.30 PM

Cost of Tender Document	Rs. 2000/- (online submission)
Estimated Tender Value	Rs. 21.00 Lakhs
EMD	RS. 21000/- (online submission)

The tender document can also be down-loaded from official website of the CSPDCL. For details. Visit our website : www.cspdcl.co.in/tenders/tender notice. For e-bidding.

CSPDCL Helpline No. 0771-2576672/73 (EITC.CSPDCL).https://cspc.co.in/cspc/csptrdcl/tender/etender/etenderindex.htm

S.K. JANGDE (4450846)
Superintending Engineer (Circle)
CSPDCL:Bilaspur

SAVE ELECTRICITY

कार्यालय नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक 4675/न.पा.नि./ लोनिवि / 25-26 अम्बिकापुर दिनांक 11/03/2026

-: ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना :-

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर द्वारा नवीन कार्यालय भवन में शेष विकास कार्य हेतु राशि रूपये 88.86 लाख की (सिस्टम टेण्डर नम्बर 186892) ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की गई है। विस्तृत निविदा सूचना छ.ग. शासन के ई- प्रोक्यूरमेंट पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in & https://uad.cg.gov.in में देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर

Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission

Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur - 492 001 (C.G.) Ph.0771-4073568, Fax: 4073553
Website: www.cserc.gov.in, E-mail: cserc.sec.cg@nic.in;

PUBLIC NOTICE

Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd. has filed a petition for seeking approval of deviations from the standard draft Power Purchase Agreement (PPA) approved by the Commission and also PPA dated 18.11.2025 with M/s Chhattisgarh Hydro Power LLP for 3 x 8.3 MW (24.90 MW) Hydro Power. The Commission has registered this Petition as P.no.37 of 2026.

Draft PPA is available on the website- www.cserc.gov.in. It is requested that considered views/comments/suggestions of the stakeholders/public are invited by 17/04/2026 and public hearing will be held on date 21/04/2026 at 11:30 AM at the Commission's office.

"SAVE ELECTRICITY" SECRETARY

आम सूचना

(ग्राम बैकोनी स्थित भूमि बाबत)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने रानी सिंह ठाकुर पति मदनसिंह ठाकुर पता टाटीबंध रायपुर छत्तीसगढ़ के एकल नाम पर दर्ज मौज़ा ग्राम बैकोनी, प. ह. नं. 43, रा. नि. मं. एवं तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.) स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 114/1, 114/3, 115/1, 116/3, 117/7, 117/8 एवं 118/3 रकबा क्रमशः 0.0400, 0.0100, 0.0120, 0.0400, 0.0800, 0.1100 एवं 0.1100 हेक्ट. कुल खसरा नंबर 07, कुल रकबा 0.4020 हेक्ट क्रय करने का करार किया है। कोई भी व्यक्ति या संस्था उपरोक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग पर कोई हक़ या हित रखते हों अथवा जो कोई यह समझते हों कि उक्त दर्जशुदा स्वामी को वर्णित संपत्ति विक्रय करने का हक़ या अधिकार नहीं है, अथवा मौका, नाप या चतुःसीमा संबंधी आपत्ति हो अथवा उक्त विक्रय सौदे के संबंध में किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति हो तो वे इस सूचना प्रकाशन के 07 (सात) दिवस के अंतर्गत अपना हक़-दावा या आपत्ति सुसंगत दस्तावेज़ सहित नीचे लिखे पते पर प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई दावा-आपत्ति प्राप्त ना होने पर समयावधि व्यतीत होने के पश्चात मेरे पक्षकार वर्णित भूमि के विक्रय विलेख का पंजीयन अपने पक्ष में करा लेंगे। अवधि पश्चात प्रस्तुत दावा-आपत्ति अवैध एवं शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी तथा मेरे पक्षकार की स्थिति सद्भावीक क्रेता की होगी।

दिनांक- 11-03-2026

विजय कुमार धूत, अधिवक्ता
नेहरू वार्ड, भाटापारा, जिला बलौदा बाज़ार-भाटापारा छ. ग. मोबाइल नंबर
9329347090

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सूरजपुर (छ.ग.)

प्रारूप -II
(नियम 5 (1) देखें)

प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक 202410260500051 दिनांक 02/02/2026

समुचित सरकार को ऐसी प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये ग्राम सिंघरी तहसील प्रतापपुर जिला सूरजपुर में कुल 0.425 हे. भूमि आपेक्षित है। आवेदक कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.), सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (SIA) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है):-

प्रस्तावित अर्जन से कुल 06 परिवार प्रभावित हो रहे हैं किन्तु किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है, और न ही किसी भी परिवार की जीविका प्रभावित हो रही है। अतः पुनर्वासन और पुनर्विस्थापन निहित नहीं है ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला सूरजपुर, तहसील प्रतापपुर के ग्राम सिंघरी में औद्योगिक प्रयोजन हेतु 0.425 हे माप के भूखण्ड जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

क्रं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हे. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं उ.	द.	पू.	प.
1	324	भूमि स्वामी	एक फसली	0.04	उजित पिता बहाली जाति कंवर	खसरा क्रं. 323/4	खसरा क्रं. 325	खसरा क्रं. 324	खसरा क्रं. 324
2	323/4	भूमि स्वामी	एक फसली	0.05	चोहुटा, खोरा, धोंधा पिता गेदवा जाति कंवर	खसरा क्रं. 323/3	खसरा क्रं. 324	खसरा क्रं. 323/4	खसरा क्रं. 323/4
3	323/3	भूमि स्वामी	एक फसली	0.05	हिरन पिता मनबोध जाति अन्य पिछड़ा वर्ग	खसरा क्रं. 323/2	खसरा क्रं. 323/4	खसरा क्रं. 323/3	खसरा क्रं. 323/3
4	323/2	भूमि स्वामी	एक फसली	0.03	हीरालाल, कयालाल पिता छेरिका, सोहनी पति छेरिका जाति अनुसूचित जनजाति	खसरा क्रं. 323/1	खसरा क्रं. 323/3	खसरा क्रं. 323/2	खसरा क्रं. 323/2
5	323/1	भूमि स्वामी	एक फसली	0.025	अकड़ी आ. मनबोध जाति कंवर	खसरा क्रं. 314	खसरा क्रं. 323/2	खसरा क्रं. 323/1	खसरा क्रं. 323/1
6	314	भूमि स्वामी	एक फसली	0.23	हिरन पिता उदयराम जाति गोंड	खसरा क्रं. 313	खसरा क्रं. 323/1	खसरा क्रं. 314	खसरा क्रं. 313

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचनाएं	
प्रकार	प्लिंथ एरिया
निरंक	निरंक

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) प्रतापपुर को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विर्निदिष्ट अनुविभागीय अधिकारी(रा.) प्रतापपुर एवं उनके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भी कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छूक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगें ।

संलग्नक : यथोक्त ।
स्थान : दिनांकः

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
प्रतापपुर, जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

(एस. जयवर्धन)
कलेक्टर
जिला- सूरजपुर
एवं पदेन उप सचिव छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जी-252607126

कार्यालय नगर पालिका परिषद अकलतरा, जिला - जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

Ph. No. 07817-252680, Fax No. 07817-252123 (PP), E-mail ID: cmoakaltara@rediffmail.com

क्रमांक/257/राजस्व/न.पा.प./2026 अकलतरा, दिनांक 11/03/2026

।। भवन/भूमि नामान्तरण सूचना ।।

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 150 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद अकलतरा के समेकित / सम्पत्ति कर मांग पंजी में भवन/भूमि नामान्तरण हेतु निम्नांकित सूची अनुसार आवेदन प्राप्त हुए हैं। अतः सूची में दर्ज भवन/भूमि नामांतरण के संबंध में किसी व्यक्ति / दावेदार अथवा संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वे सूचना प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपना दावा/आपत्ति, भवन/भूमि संबंधी अभिलेख / दस्तावेज की प्रमाणित प्रति के साथ कार्यालयीन अवधि में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

छत्तीसगढ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 150 के अंतर्गत नगरपालिका परिषद अकलतरा के समेकित / सम्पत्तिकर मांग पंजी में भवन/भूमि नामान्तरण हेतु निम्नांकित सूची अनुसार 17 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

क्र.	हस्तांतरिणी (क्रेता) का नाम/पिता या पति का नाम व पता	हस्तांतरण का स्वरूप	हस्तांतरणकर्ता (विक्रेता) का नाम/पिता या पति का नाम व पता	वार्ड	भवन/भूमि खसरा नं. व रकबा
1.	श्री केशवलाल/स्व. दिलराम वार्ड क्रमांक 09 अकलतरा	सहमति -पत्र (मृत्यु पश्चात)	श्री हरीश साहू / स्व. माधोराम साहू वार्ड 9 अकलतरा	09	आबादी भूमि ख.नं. 1619/248 रकबा 77 वर्ग मी. भूमि क्रमांक 09 में स्थितं।
2.	महेश कुमार भोजासिया / श्री बजरंग लाल भोजासिया वार्ड क्र. 06 अकलतरा जिला	सहमति -पत्र (मृत्यु पश्चात)	श्री बजरंगलाल भोजासिया / मनोहर लाल भोजासिया क्र. 06 अकलतरा	11	आबादी भूमि ख.नं. 1759/1 मे से रकबा 2180 वर्ग फीट 202.5 वर्ग मी. भूमि क्रमांक 11 में स्थितं
3.	महेश कुमार भोजासिया / श्री बजरंग लाल भोजासिया वार्ड क्र. 06 अकलतरा जिला	सहमति -पत्र (मृत्यु पश्चात)	श्री बजरंगलाल भोजासिया / मनोहर लाल भोजासिया क्र. 06 अकलतरा	04	ख.नं. 361 रकबा 14.50 वर्ग मी. भवन/भूमि वार्ड क्रमांक 04 में स्थितं
4.	श्री आलोक अग्रवाल /श्री नवल किशोर अग्रवाल वार्ड क्र. 04 अकलतरा	पंजीकृत	श्री देवीप्रसाद तुलस्यान/छोटेलाल तुलस्यान अकलतरा जिला	04	ख.नं. 372/9 में से रकबा 0.06 ए. 243 वर्ग मी. भूमि भूमि क्रमांक 04 में स्थितं
5.	श्रीमती विधि अग्रवाल/श्री आलोक अग्रवाल वार्ड क्रमांक 04 अकलतरा	शपथ पत्र (मृत्यु पश्चात)	श्री देवी प्रसाद तुलस्यान /छोटेलाल तुलस्यान वार्ड क्रमांक 04 अकलतरा	04	आबादी भूमि ख.नं. 372/10 रकबा 243 वर्ग मी. भूमि क्रमांक 04 में स्थितं
6.	श्रीमती कौशिल्या अग्रवाल/स्व. माधो प्रसाद अग्रवाल वार्ड 04 अकलतरा	शपथ पत्र (मृत्यु पश्चात)	मेवा बाई अग्रवाल, / स्व. ज्वाला प्रसाद अग्रवाल वार्ड 04 अकलतरा	04	आबादी भूमि ख.नं. 361 रकबा 2640 वर्ग फीट भूमि क्रमांक 04 में स्थितं
7.	श्रीमती दीप्ति सिंह / श्याम सरोज सिंह निवासी वार्ड क्र. 14 अकलतरा	टापसी बटवारानामा	श्रीमती उर्मिला सिंह / श्याम सरोज सिंह निवासी वार्ड क्र. 14 अकलतरा	14	भूमि ख.नं. 2070 में से रकबा 0.0220 हे. भवन निकाय पंजी के सरल क्र. 76/14 में दर्ज हैं
8.	स्व. श्रीमती लक्ष्मी जैन / सुशील कुमार जैन वार्ड क्रमांक 03 अकलतरा	शपथ पत्र (मृत्यु पश्चात)	श्री सुरेश कुमार लिखमानिया / बृजमोहन लिखमानिया वार्ड 6 मस्जिद रोड	06	आबादी भूमि रकबा 1280 वर्ग फीट भवन निकाय पंजी के सरल क्र. 221/6 में दर्ज है।
9.	श्रीमती बीनू राठौर / श्री फूलेश्वर सिंह राठौर कृष्णा बाई/भुरूराम राठौर	पंजीकृत	श्रीमती सुषमा देवी साहू/अरूण कुमार साहू पोंड़ीभांठा अकलतरा	02	खाली भूमि ख.नं. 346/34 में से रकबा 222.862 वर्ग मी. निकाय पंजी के सरल क्र. 2/7 में दर्ज हैं।
10.	श्रीमती पल्लवी खाण्डेकर / श्री प्रफूल धृतलहरे वार्ड 14 अकलतरा	शपथ पत्र (मृत्यु पश्चात)	स्व. गिरिजा बाई / स्व. गोविंद सतनामी खिसोरा भांठा अकलतरा	14	आबादी पट्टा भूखण्ड क्र. 2929 रकबा 396 वर्ग फीट भवन निकाय पंजी के सरल क्र. 194/14 में दर्ज हैं।
11.	श्री अहिमन कुमार डहरिया / स्व. सोनादास निवासी-देवरी	पंजीकृत	श्री रमाशंकर,, चंद्रिका, अमरिका, बृहस्पति जगदेव जगदेव	13	भूमि ख.नं. 2018 में से रकबा 0.12 ए. 12.11 डिस. भूमि क्रमांक 13 में स्थितं
12.	अनिल कुमार अग्रवाल/श्री अशोक कुमार अग्रवाल वार्ड 04 डंगरापारा अकलतरा	पंजीकृत	श्री अशोक कुमार अग्रवाल/ स्व. गिरवर प्रसाद अग्रवाल वार्ड 04 डंगरापारा अकलतरा	16	भूमि ख.नं. 2177/30 व 2177/31 का रकबा क्रमशः 50 व 210 भूमि क्रमांक 16 में स्थितं
13.	श्रीमती सरोजनी मरावी / विजय कुमार गोंड. निवासी संजय नगर अकलतरा	सहमति -पत्र (बिक्रीनामा)	सुनीता राज / रामनाथ राज निवासी संजय नगर अकलतरा	04	आबादी (पट्टा) भूमि रकबा 2.5 डिसमिल भूमि क्रमांक 04 में स्थितं
14.	श्री कमलकिशोर शर्मा/स्व. राधेश्याम शर्मा वार्ड स्टेशन रोड अकलतरा	पंजीकृत	श्री राजकुमार शर्मा/स्व. राधेश्याम शर्मा निवासी अकलतरा जिला- जांजगीर चाम्पा	06	आबादी (पट्टा) भूमि ख.नं. 502/284 में से रकबा 10 वर्गमीटर भूमि कमांक 06 में स्थितं
15.	श्रीमती रामकुमारी राठौर / श्री देवी सिंह राठौर सिंचाई कालोनी अकलतरा	पंजीकृत	श्री अनवर खान/निजामुद्दीन खान निवासी-जांजगीर जिला-जांजगीर चाम्पा	14	ख.नं. 2251/11 में से रकबा 0.2830 हेक्ट. भूमि क्रमांक 14 में स्थितं
16.	श्री रामेश्वर सिंह गौतम / श्री टेमन सिंह गौतम निवासी - वार्ड 01	पंजीकृत	श्री आदित्य नारायण माइती / कृष्ण प्रसाद माइती निवासी अकलतरा	13	भूमि ख.नं. 2018/23 रकबा 0.0200 हे. भूमि क्रमांक 13 में स्थितं
17.	श्री अजय कुमार गुईन/स्व. प्रबोधचंद गुईन वार्ड 05 अकलतरा	सहमति पत्र इकरारनामा	श्री सुकुमार चंद्र गुईन / स्व. प्रबोधचंद गुईन वार्ड 05 अकलतरा	05	भवन निकाय पंजी के सरल क्र. 152/5 में दर्ज हैं।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद अकलतरा
जिला : जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम बिलासपुर (छ.ग.)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के बीएलसी घटक अंतर्गत आबादी (सुरक्षित/प्रचलित) भूमि पर निवासरत122 आवेदकों को परीक्षण उपरांत दावा आपत्ति आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

विज्ञापन क्र. 176 दिनांक 11/03/2026

दावा आपत्ति सूचना

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के बीएलसी घटक अंतर्गत आबादी (सुरक्षित/ प्रचलित) भूमि पर निवासरत परिवारों को ''पात्र हितग्राही'' प्रमाण पत्र के द्वारा योजना से लाभाविंत किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है ।

बहतराई एवं बिजौर क्षेत्र में निवासरत 122 परिवारों द्वारा प्राप्त आवेदनों के सर्वेक्षण एवं परीक्षण समिति से अनुमोदन उपरांत दिनांक 12/03/2026 से 18/03/2026 तक कुल 07 दिवस तक दावा आपत्ति आमंत्रित की जाती है। दावा आपत्ति कार्यालयीन समय में प्रधानमंत्री आवास योजना कक्ष में प्रस्तुत की जा सकती है। निर्धारित तिथि के पश्चात दावा आपत्ति मान्य नही होगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम बिलासपुर (छ.ग.)

पर्यावरण संरक्षण हेतु पॉलीथीन का उपयोग न करें।

Directorate of Employment and Training, Chhattisgarh

Indravati Bhawan, Block-4, 1st Floor,
Naya Raipur, Chhattisgarh

Expression of Interest (EOI)

On boarding of Anchor Industry Partners under PM-SETU Scheme

The Directorate of Employment and Training, Chhattisgarh invites **Expression of Interest (EOI)** from reputed **Industries/Industry Associations** for on boarding as **Anchor Industry Partners** for the **up gradation of selected ITI Clusters (Hub & Spoke Model)** under the **PM-SETU Scheme.**

Interested organizations may refer to the detailed EOI document available on the **e-Procurement Portal - https://eproc.cgstate.gov.in**

Issue of EoI document: 10.03.2026
Last Date for Submission: - 30.03.2026 at 5.00PM

Director
Employment and Training
Chhattisgarh

G- 252607138

South East Central Railway

NO. P-HQ/GAZ/MED/214320/97
DATE: 09.03.2026

NOTIFICATION

Short Notification is issued for engagement of 01 Honorary visiting Specialist for one year, purely on yearly contract basis, against 01 (Orthopedics) vacancy in Central Hospital, South East Central Railway Bilaspur. For more details i.e. eligibility, qualifications, age, experience, terms and conditions, etc. please log on to SECR's website **http://secr.indanrailways.gov.in** at the path given below;-
Recruitment/News/Pressrelease→ Recruitment→ Headquarters → Gazetted Section

Dy. Chief Personnel Officer (GAZ)
CPR/10/AM/750 S.E.C. Rly., Bilaspur

South East Central Railway @secrail

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

निर्माण कार्य हेतु निविदा सूचना

निविदा संख्या : सीपीएम/इंजी/जीएसयू/बीएसपी–14–25–26 दिनांकः 03.03.2026

कार्य का नाम : दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के उसलापुर में इलेक्ट्रिक लोको प्रशिक्षण केन्द्र की क्षमता में वृद्धि और उन्नयन के लिये 60 (जी+2) अतिरिक्त बहुमंजिला भवनों का निर्माण।

निविदा मूल्य : ₹ 31,88,07,680.52/-, अमानत राशि : ₹ 17,44,000.00/- कार्य पूर्णता की अवधिः 18 माह, निविदा जमा करने की आरंभ तिथि : दिनांक 18.03.2026 से। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : दिनांक 01.04.2026 के 15.30 बजे तक। उपरोक्त ई–निविदा सूचना की पूरी जानकारी https://www.ireps.gov.in. वेबसाइट पर उपलब्ध है, उपरोक्त निविदाओं हेतु ई–टेंडर के अलावा अन्य टेंडर स्वीकार नहीं की जाएगी।

उप मुख्य अभियंता (गतिशक्ति)
सीपीआर/10/FL/739 द.पू.म. रेलवे, बिलासपुर

South East Central Railway @secrail

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.) पिन - 492001
फोन नंबर :- 0771-4918927

Email - office.rera.cg@gov.in, website- https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक : 335/रेरा/लेखा / 2026/1 रायपुर, दिनांक 10/03/2026

// सूचना //

विषय :- छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 में संशोधन बाबत् प्रस्ताव ।
विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 9 में खण्ड (1) विक्रय अनुबंध के निर्धारित 'परिशिष्ट - क ' एवं नियम - 14 में निम्नानुसार संशोधन किया जाना है-

क्र.	पूर्व से प्रतिस्थापित	नियम में संशोधन हेतु प्रस्ताव	औचितय
1	नियम- 9 में (1) **विक्रय अनुबंध** के 'परिशिष्ट - क ' में नवीन कंडिका जोड़ा जाना है।	नियम 9 में खण्ड **(1) विक्रय अनुबंध** के 'परिशिष्ट - क ' (विक्रय के लिए करार) की कंडिका-ठ के पश्चात् कंडिका-ड निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- (ड) श्री / श्रीमान .... (रेरा अभिकर्ता पंजीयन क्रमांक .....) ('अभिकर्ता') ने केवल आबंटी (Allottee) का प्रमोटर (Promoter) से परिचय कराया है और इसे इस समझौते की शर्तों या छत्तीसगढ़ रेरा (RERA) को प्रकट की गई स्वीकृत जानकारी से परे किसी भी प्रकार का आश्वासन देने वाला नहीं माना जाएगा। एजेंट को अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत ' होना आवश्यक है, वह आवंटी से किसी भी प्रकार की राशि एकत्रित नहीं करेगा (यहाँ सहमत दलाली / ब्रोकर कमीशन को छोड़कर) तथा कोई भी झूठा या भ्रामक वक्तव्य नहीं देगा । प्रमोटर केवल रेरा पंजीकृत एजेंट को ही संलग्न करेगा और सटीक परियोजना विवरण संचार हेतु उपलब्ध कराएगा । आबंटी एजेंट के पंजीकरण का सत्यापन करेगा और केवल लिखित रूप से किए गए खुलासों पर भरोसा करेगा। एजेंट द्वारा किसी भी प्रकार की गलत बयानी की स्थिति में, आवंटी को कानून के तहत बिना इस समझौते के अंतर्गत अधिकारों को प्रभावित किए उपाय प्राप्त करने का अधिकार होगा ।	कंडिका-ड जोड़ा जाना आवश्यक है, ताकि आंबटी, प्रमोटर, अभिकर्ता के मध्य पारदर्शिता सुनिश्चित रहे, साथ ही समझौते की शर्तें रेरा अधिनियमों के अनुरूप प्रकट हो सके। अभिकर्ता द्वारा आबंटी को भ्रामक वक्तव्य कर राशि प्राप्त ना कर सके तथा आबंटी एवं प्रमोटर के मध्य सीधा राशि हस्तांतरण हो सके ।
2	नियम - 14 लेखा **पुस्तकें, अभिलेखों तथा दस्तावेजों का संधारण एवं संरक्षण**- भू-संपदा अभिकर्ता, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार लेखा पुस्तकें, अभिलेखों तथा दस्तावेजों का संधारण एवं संरक्षण करेगा।	**नियम - 14 लेखा पुस्तकें, अभिलेखों तथा दस्तावेजों का संधारण एवं संरक्षण**- भू-संपदा अभिकर्ता, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार लेखा पुस्तकें, अभिलेखों तथा दस्तावेजों का संधारण एवं संरक्षण करेगा । भू-संपदा अभिकर्ता प्रतिवर्ष लेखा पुस्तकें, अभिलेखों तथा दस्तावेजों का विवरण परिशिष्ट - द (Annexure- D) में प्रेषित करेगा ।	नियम में संशोधन आवश्यक है, ताकि अभिकर्ता द्वारा आबंटी / प्रमोटर से प्राप्त वित्तीय लेन-देन दलाली / ब्रोकर, कमीशन, विधि सम्मत हो, आय-व्यय की जानकारी उपलब्ध होने पर अनियमितता या धोखाधडी ना हो, अभिकर्ता एवं प्रमोटर के मध्य पारदर्शिता सुनिश्चित हो, अवैध वित्तीय लेन-देन पर नियंत्रण स्थापित हो ।

उक्त संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति / फर्म / संस्था को कोई आपत्ति अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत करना हो, तो वे इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपना अभिमत / आपत्ति लिखित रूप में छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों / अभ्यावेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा ।

रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू- संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

संवाद- 47160

CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD.

No.02-08/CW/2025-26/Tr No.2916-2926/7342 Raipur Dtd 26-02-2026

NOTICE FOR E-TENDER

1. Online bids are invited through CSPDCL tendering system (SAP SRM) from Eligible Electrical Contractors registered in the O/o CE (PROJECT), CSPDCL, Gudhiyari, Raipur for following works. Registration of electrical contractors is opened & will be allowed for this tender till one day prior to date of opening of the tender. 2. The registration of contractor will remain open. For details and further notifications keep visiting http://www. cspdcl.co.in ->project department->ebidding portal. 3. Bidders may visit the site www.cspdcl.co.in/project **office/ contractors section** to know the qualifying criteria for registration of contractors to be eligible for participating in the tender. **4. Bid information must be submitted in the prescribed format only. No deviation shall be permitted.**

Sr. No.	Tender No / Rfx no.	Name of work	Tender amount (excl. GST) (in Rs)	Completion period	Eligible class for bidding	Time & Due date of submission
1	Tr.no-2916 RFx-8100049733	Providing New 1X3.15 MVA, 33/11 KV S/S at Village BHOTHIYA under SALNI D/C OF O&M Division Sakti.	15917776.00	05 months	Class-I	12.00 noon 19.03.2026
2	Tr.no-2917 RFx-8100049734	New 33 KV Interlinking feeder from 220/132/33 KV S/s Banari to 33 KV Vardha feeder Tapping at Tilai Gouthan U/n O&M Dn. Champa.	3681407.00	03 months	Class-I & II	12.00 noon 19.03.2026
3	Tr.no-2918 RFx-8100049735	Interlinking of 17 Km. 33KV Line from 33/11 KV Kalyanpur S/s to 33/11 KV Risda S/s U/n Akaltara ® D/c of EE (O&M) Dn, Akaltara.	7678507.00	05 months	Class-I & II	12.00 noon 19.03.2026
4	Tr.no-2919 RFx-8100049736	New 33/11 Kv 5 MVA Sub-Station at Shekharpur Under Ludeg D/C Under (O&M) Dn. Pathalgaon.	24450398.00	05 months	Class- I	12.00 noon 19.03.2026
5	Tr.no-2920 RFx-8100049737	New 33/11 Kv 5 MVA Sub-Station at Khutera Under Kansabel D/C Under (O&M) Dn.CSPDCL, Pathalgaon.	13261370.00	05 months	Class- I	12.00 noon 19.03.2026
6	Tr.no-2921 RFx-8100049738	New 33/11 KV S/s at Chetba Under Kansabel D/C Under (O&M) Dn.CSPDCL, Pathalgaon.	14831905.00	05 months	Class-I	12.00 noon 19.03.2026
7	Tr.no-2922 RFx-8100049739	P/S of 1 No 3.15 MVA HT Connection on 33 KV to Nagar Palika Parishad Bodri for Amrit Mission 2.0 at village - Bartori U/n Bilha Sub Division.	5514245.00	03 months	Class-I & II	12.00 noon 19.03.2026
8	Tr.no-2923 RFx-8100049740	Shifting of 11 KV Line Pelma Feeder & 33 KV Hindalco Feeder at village Dholnara Applied by Superintendent Engineer (CIVIL) Coal Mining Dev. Cell CSPGCL Gharghoda under Karwahi D/c under O&M Dn. I Raigarh.	2871261.00	03 months	Class-I & II	12.00 noon 19.03.2026
9	Tr.no-2924 RFx-8100049741	Shifting of 33/11 KV Line, LT Line & Transformer DP due to road widening (Old NH 200) from Dhimrapur Chowk to Kotra Thana Chowk under Zone-1 of O&M Dn. Raigarh-I.	9403976.00	03 months	Class-I & II	12.00 noon 19.03.2026
10	Tr.no-2925 RFx-8100049742	External Electrification of Village Bijari under Kudumkela D/C of O&M dn-1 Raigarh.	7705948.00	03 months	Class-I, II, III & III-A	12.00 noon 19.03.2026
11	Tr.no-2926 RFx-8100049800	Installation of 33/11 KV 3.15 MVA Substation at village - Maini under Bagicha D/c under (O&M) Dn. Jashpur.	18135608.00	05 months	Class-I	12.00 noon 19.03.2026

SAVE ELECTRICITY

Chief Engineer (PROJECT)
CSPDCL: RAIPUR

सेंसेक्स 1,342 अंक टूटा, 5% तक और गिरकर संभल सकता है

मुंबई | शेयर बाजार में बुधवार को भारी गिरावट आई। सेंसेक्स 1,342 अंक टूटकर 76,864 पर और निफ्टी 395 अंकों की गिरावट के साथ 23,867 पर बंद हुआ। इसके कई कारण रहे। मसलन, विदेशी संस्थाओं ने 4,673 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली, ब्रेंट क्रूड कीमत में 4% तेजी और अमेरिका, इजराइल व ईरान के बीच तनाव कम होने की जगह बढ़ना। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान युद्ध शुरू होने से अब तक भारतीय बाजार मोटे तौर पर 10% गिर चुके हैं। करीब 5% और गिरावट देखी जा सकती है। इसके बाद युद्ध के मोर्चे पर यदि कोई सकारात्मक खबर आती है तो बाजार में रिकवरी शुरू हो सकती है। टाटा एसेट मैनेजमेंट के चीफ इंवेस्टमेंट ऑफिसर (इक्विटी) राहुल सिंह ने कहा, 'कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से रुपया कमजोर होने लगा है। ये बाजार के सेंटीमेंट को प्रभावित कर रहा है। हालांकि अब बाजार का वैल्युएशन पहले के मुकाबले बेहतर दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी लगभग 20 गुना आय के स्तर पर ट्रेड कर रहा है।'

ट्रेंडः वैश्विक संकट के दौर में 52% तक गिरकर 1 साल बाद 83% तक रिकवर हो चुका है बाजार

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

वैश्विक संकट और युद्ध के दौरान शेयर बाजार में भारी गिरावट आम बात है। तीन दशकों के आंकड़े दिखाते हैं कि बड़े संकट के दौर में निफ्टी 3% से 52% तक गिरा है। लेकिन अक्सर 1 साल के भीतर जोरदार वापसी होती रही है। वेल्दी रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक, 1990 के खाड़ी युद्ध के दौरान कच्चे तेल के दाम दोगुने हो गए थे। इसके चलते निफ्टी करीब 20% टूटा, पर अगले एक साल में ही 42% उछाल आया। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट में गिरावट सबसे गहरी थी। बाजार आधे से ज्यादा टूट गया था। एक साल बाद करीब 76% रिकवरी देखी गई। 2003 के इराक युद्ध के दौरान भी बाजार ने पहले झटका झेला, फिर धीमे-धीमे संभल गया।

1990 से अब तक के आंकड़े...वैश्विक संकट के दौर में बाजार का 10-15% गिरना सामान्य

दिलचस्पः क्रूड में उछाल के मुकाबले निफ्टी कम गिरता है, 2011 में बराबरी का था मामला

संकट	साल	क्रूड में तेजी	निफ्टी टूटा	1 साल बाद
खाड़ी युद्ध	1990	+100%	-20%	+42%
इराक युद्ध	2003	+35%	-3%	+83%
वित्तीय संकट	2008	+63%	-52%	+76%
अरब संघर्ष	2011	+25%	-25%	+28%
यूक्रेन युद्ध	2022	+80%	-15%	+22%

(स्रोतः वेल्दी रिसर्च)

- जो संकट जितना विनाशकारी था, उसके थमते ही शेयर बाजार ने उतनी ही ताकत से पलटवार (उछाल) किया।
- 2022 के यूक्रेन युद्ध में रिकवरी सबसे कम 22% रही क्योंकि उस दौरान ब्याज दरें बढ़ने की मार पड़ी थी।

नई चुनौतीः 3 माह में 6.6 लाख करोड़ के शेयर बाजार में आएंगे

युद्ध और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से जूझ रहे बाजार में एक और दबाव आने वाला है। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट के मुताबिक, 88 कंपनियों के 6.6 लाख करोड़ रुपए के शेयर 11 मार्च से 29 जून के बीच लॉक-इन से मुक्त होंगे। इनमें अर्बन कंपनी के 66% और लेंसकार्ट के 60% शेयर शामिल हैं। इससे अतिरिक्त बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है, खास तौर पर उन शेयरों पर जो पहले से इश्यू प्राइस से नीचे हैं। 2026 में लिस्ट दो-तिहाई आईपीओ डिस्काउंट पर हैं।

टॉप-10 आईटी शेयरों में 84% उछाल का अनुमानः नुवामा

एआई से आय पर असर को लेकर चिंताओं के बावजूद नुवामा वेल्थ ने भारतीय आईटी सेक्टर पर भरोसा जताया है। ब्रोकरेज फर्म ने अपनी रिपोर्ट में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे टॉप-10 आईटी शेयरों को 'बाय' रेटिंग दी है और इनमें 84% तक तेजी का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेनरेटिव एआई से छोटी अवधि में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। लेकिन मध्यम और लंबी अवधि में आईटी सेक्टर पूरी मजबूती से बाउंसबैक करेगा।

कच्चा तेल अब 90-91 डॉलर पर स्थिर होता नजर आ रहा, बाजार के लिए ये अच्छा संकेत

भास्कर एक्सपर्ट

श्रीकांत चौहान
इक्विटी रिसर्च हेड, कोटक सिक्युरिटीज

- ऐसा लग रहा है कि ईरान युद्ध जल्द खत्म नहीं होगा। दिक्कत ये है कि इजराइल के लक्ष्य अलग हैं, जबकि अमेरिका के अलग। इसके अलावा खाड़ी के लगभग सभी देश इस संघर्ष से जुड़ते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा रिस्क है।
- यदि रूस-यूक्रेन युद्ध छोड़ दें तो हाल के दशकों के ज्यादातर संघर्ष 30-40 दिन में खत्म हो गए हैं। पर इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा।
- ईरान युद्ध 40 दिन से लंबा खिंच सकता है। ये बड़ा जोखिम है। इसे देखते हुए शेयर बाजार में गिरावट जारी रह सकती है।
- अच्छी बात ये है कि अभी कच्चा तेल 90-91 डॉलर प्रति बैरल पर स्थिर होता नजर आ रहा है। यदि यह मौजूदा लेवल पर स्थिर रहा तो सेंसेक्स करीब 5% और गिरकर संभलता नजर आएगा। उसके बाद रिटेल निवेशकों के लिए शेयर बाजार में नया निवेश शुरू करने का अच्छा मौका होगा।

प्राइमरी मार्केट • वैल्युएशन में अनुशासन बरतना जरूरीः बाजार नियामक

एआईएफ के सपोर्ट से चलने वाली कंपनियों के आईपीओ प्रमोटरों का एग्जिट गेट न बनेंः सेबी

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

बाजार नियामक सेबी के चेयरमैन तुहीन कांत पांडेय ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (एआईएफ) से अपने निवेश के वैल्युएशन में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि हाल के समय में एआईएफ द्वारा समर्थित कंपनियों के प्रमोटर आईपीओ के जरिये बाहर (एग्जिट) हुए हैं। ऐसे में सही और निष्पक्ष वैल्युएशन बेहद अहम हो जाता है। पांडेय के मुताबिक कई एआईएफ ऐसे स्टार्टअप और आसानी से न बिकने वाले एसेट्स में निवेश करते हैं जो आगे चलकर पूंजी बाजार में लिस्ट होने की तैयारी करते हैं। अगर इन निवेशों का मूल्यांकन पारदर्शी और मजबूत प्रक्रिया से नहीं किया गया तो इससे निवेशकों के भरोसे पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि एआईएफ उन कंपनियों में बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं जो भविष्य में शेयर बाजार में लिस्टेड होंगी।

एआईएफ स्कीम्स के लिए 'लॉज एंड लॉन्च' पर विचारः सेबी प्रमुख ने कहा कि नियामक कुछ एआईएफ स्कीम्स के लिए 'लॉज एंड लॉन्च' मॉडल पर भी विचार कर रहा है। इससे फंड लॉन्चिंग की प्रक्रिया तेज होगी और निवेश जुटाना आसान हो जाएगा। पांडेय एआईएफ से हेल्थ केयर, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ बुनियादी ढांचे जैसे सेक्टरों में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया गया है।

संकट • कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से प्रमुख पॉलिमर महंगे हुए, असर पूरी सप्लाई चेन पर

ईरान युद्ध के कारण पैकेजिंग लागत 20% तक बढ़ी

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

ईरान युद्ध के कारण उपजे भू-राजनैतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी का असर अब भारतीय पैकेजिंग उद्योग पर दिखने लगा है। प्रमुख पॉलिमर महंगे होने से कई कैटेगरी में पैकेजिंग लागत हाल के दिनों में 20% से ज्यादा बढ़ गई है। पॉलीएथलिन (पीई) और पॉलिप्रोपिलीन (पीपी) जैसे पॉलिमर के दाम बढ़ना इसकी मुख्य वजह है। ये दोनों पेट्रोकेमिकल से बनते हैं और फ्लेक्सिबल व रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग में व्यापक रूप से इस्तेमाल होते हैं। इन उत्पादों की बढ़ती कीमतों ने पूरी सप्लाई चेन पर भी पड़ रहा है। इससे न केवल इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, बल्कि कच्चे माल की उपलब्धता भी अनिश्चित हो गई है। वहीं डिलीवरी टाइमलाइन भी लंबी होने लगी है। जानकारों के अनुसार, यह संकट अगले कुछ महीनों तक बना रह सकता है। इसे देखते हुए कंपनियां अपनी रणनीति में बदलाव कर रही हैं ताकि बाजार में उनके प्रोडक्ट्स की उपलब्धता बनी रहे।

भास्कर नॉलेज

एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने की आशंका

एलारा कैपिटल के एसवीपी करण तौरानी के मुताबिक, एफएमसीजी कंपनियों की लागत में पैकेजिंग की हिस्सेदारी 5-10% होती है। आमतौर पर जोमैटो, स्विगी जैसी फूड टेक कंपनियों के हर ऑर्डर में 5-10 रुपए तक पैकेजिंग लागत जोड़ती है। कच्चे तेल की कीमतें स्थिर नहीं हुईं तो बोझ ग्राहकों पर पड़ सकता है। इससे उत्पादों के रिटेल दाम बढ़ सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 1.7 फीसदी घटी

मुंबई| अंतरराष्ट्रीय बाजार में बुधवार को सोने की कीमत 87 डॉलर यानी 1.66% घटकर 5,155 डॉलर प्रति आउंस रह गई। चांदी का भाव भी 5 डॉलर कम होकर 84.55 डॉलर पर आ गई। गिरावट की मुख्य वजह अमेरिकी डॉलर इंडेक्स का 99.42 पर मजबूत होना रहा, जिससे डॉलर में ट्रेड होने वाली धातुओं के दाम घट गए। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। मध्य-पूर्व में युद्ध के 12वें दिन भी हमले जारी हैं। ईरान ने होर्मुज जलमार्ग में एक थाई मालवाहक जहाज को निशाना बनाया और दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले हुए। इससे मार्च में अब तक कच्चे तेल के बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड के दाम 26% बढ़ चुके हैं। ऐसे में महंगाई बढ़ने की आशंका से सोने-चांदी की कीमतें बढ़ सकती हैं। उधर अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेड की बैठक में ब्याज दरें स्थिर रहने की उम्मीद है और सितंबर से पहले कटौती की संभावना कम है। इससे सोने में फिर तेजी शुरू हो सकती है।

भारत में सोना स्थिर, लेकिन चांदी 4,900 रुपए सस्तीः देशभर के सराफा बाजारों में सोने की औसत कीमत 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम रही। मंगलवार को भी दाम लगभग इतने ही थे। लेकिन चांदी और कीमत 4,934 रुपए घटकर 2.66 लाख रुपए प्रति किलो रह गई।

तेल महंगा, अप्रैल में 5% तक महंगे हो सकते हैं पेंट

नई दिल्ली | कच्चे तेल की कीमतें ऊंची रहने पर देश में पेंट की कीमतें अप्रैल में 2-5% बढ़ सकती हैं। सिस्टमेटिक्स रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यदि क्रूड मौजूदा स्तर (91 डॉलर प्रति बैरल) पर बना रहता है तो कंपनियां कीमतें बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं।

जैकेट व पेज 1 के शेष

25 साल में 8 उच्च शिक्षा मंत्री वादे करते रह ...

कॉलेजों की संख्या बढ़ाते गए, लेकिन नियमित फैकल्टी पर ध्यान नहीं :प्रदेश में शासकीय कॉलेजों की संख्या साल दर साल बढ़ती गई, उसकी तुलना में नियमित फैकल्टी की संख्या कम है। अभी राज्य में 335 शासकीय कॉलेज हैं। जबकि 2008-09 में 154 कॉलेज हैं। 10 साल में यानी 2018-19 तक 100 नए कॉलेज बने और संख्या 254 हो गई। इसके बाद 2024-25 तक 81 और कॉलेज खुल गए। इनकी तुलना में यदि प्रोफेसर की बात करें तो सीधी भर्ती में कुल स्वीकृत पद 779 हैं, यह सभी खाली है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छामृत्यु की इजाजत...

साथ ही, सभी हाईकोर्ट्स से अपने राज्यों के न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देश देने को कहा कि जब प्राइमरी और सेकंडरी मेडिकल बोर्ड लाइफ सपोर्ट हटाने पर सहमत हों, तो अस्पतालों से सूचना प्राप्त करें।

सदन में बोलने के समय राहुल विदेश में होते हैं...

मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है। विपक्ष की टोकाटाकी और नारेबाजी के बीच शाह ने 56 मिनट के भाषण में आंकड़ों के जरिए बताया कि 17वीं लोकसभा कांग्रेस को 157 घंटे 55 मिनट का समय दिया गया। जबकि उनके 52 सदस्य थे। कांग्रेस को भाजपा से 6 गुना ज्यादा समय दिया गया। 18वीं लोकसभा में भी कांग्रेस को भाजपा से दो गुना समय मिला।

NCERT: भ्रष्टाचार का चैप्टर फिर लिखा; सुप्रीम ...

कोर्ट ने केंद्र को विशेषज्ञों की समिति बनाने का निर्देश दिया, जिसमें एक पूर्व जज, एक शिक्षाविद और एक प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ रहे। कोर्ट ने कहा, 'यदि अध्याय-4 दोबारा लिखा गया है तो भी तब तक प्रकाशित नहीं होगा, जब तक विशेषज्ञों की समिति उसे मंजूरी नहीं देती।' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया कि उच्चस्तरीय समिति की समीक्षा के बिना ये अध्याय दोबारा प्रकाशित नहीं होगा।

झारखंड में अफीम के खेत पकड़े तो छत्तीसगढ़...

ग्रामीणों ने भास्कर की टीम को बताया कि झारखंड से आए चौकीदार कुछ लोगों के संपर्क में थे और वे मजदूरों को बुलवाते थे। वे कम उम्र के लोगों से मजदूरी करवाते थे। बदले में उन्हें एक दिन के 300 रुपए मजदूरी देते थे। एक ग्रामीण ने बताया कि उसका बेटा रामपाल और नेहरू कुछ दिन खेत पर मजदूरी किए हैं। वहीं एक लड़की जो 13–14 साल की है, वह भी अफीम के खेत में काम करने जाती थी। एक दिन वह अचानक गायब हो गई। फिर पता चला कि वह अफीम के खेत के ही एक चौकीदार के पास है। फिर यह मालूम हुआ कि उसे चौकीदार भगाकर रांची ले गया है। वहां आरपीएफ ने संदेह के आधार पर चौकीदार और लड़की से पूछताछ की। चौकीदार वहां से भाग गया। लड़की ने फोन पर अपने पिता को इस बारे में बताया। पिता उसे गांव लेकर पहुंचे और पंचायत बैठी। इसमें ग्रामीणों ने अजीबोगरीब खेती की बात भी बताई। इसी बीच दुर्ग में अफीम की खेती का खुलासा हुआ तो सोशल मीडिया में लोगों ने डोडे की फोटो देखा और बात खुल गई।

10 साल बाद रायपुर में IPL, क्रिकेट संघ को मैच...

क्रिकेट संघ के अधिकारियों के अनुसार आईपीएल मैचों में राज्य संघ की भूमिका मुख्य रूप से स्टेडियम उपलब्ध कराने, पिच तैयार करने और लोकल सपोर्ट स्टाफ देने तक सीमित रहती है। इसके बदले बीसीसीआई से प्रति मैच लगभग 60 लाख रुपए की होस्टिंग फीस मिलती है। इस हिसाब से रायपुर में होने वाले दो मैचों के लिए करीब 1.2 करोड़ रुपए की फीस मिलने का अनुमान है। हालांकि इस रकम का बड़ा हिस्सा ग्राउंड मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, स्टाफ और लॉजिस्टिक्स पर खर्च हो जाता है। दूसरी ओर आईपीएल मैचों का सबसे बड़ा आर्थिक फायदा शहर के व्यापार और सर्विस सेक्टर को होता है। टीम, ब्रॉडकास्ट क्रू, स्पॉन्सर और फैंस के आने से होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट और इवेंट कंपनियों की मांग बढ़ जाती है।

होटल कैटेगरी	सामान्य किराया	IPL के दौरान
5 स्टार,	7–10 हजार,	12–18 हजार
बिजनेस होटल,	3–5 हजार	6–8 हजार
बजट होटल,	1200–2000	2500–4000

- मैच के दौरान 30% से 100% तक किराया बढ़ सकता है

बिजनेस प्लस

सुमीत बाजार के विमेंस डे सेलिब्रेशन ऑफर का आज अंतिम दिन

रायपुर | इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर छत्तीसगढ़ के अग्रणी रिटेल ब्रांड सुमीत बाजार द्वारा शुरू किया गया विमेंस डे सेलिब्रेशन ऑफर 12 मार्च को समाप्त हो रहा है। ऑफर के अंतिम दिन ग्राहकों को आकर्षक और उपयोगी उत्पाद बेहद किफायती कीमतों पर खरीदने का मौका मिलेगा। इस विशेष ऑफर के तहत ब्रांडेड प्रीमियम उत्पादों पर भारी छूट दी जा रही है। 11,999 रुपए एमआरपी वाला 24 इंच का प्रीमियम ट्रैवल सूटकेस मात्र 1,999 रुपए में उपलब्ध है। वहीं 9,999 रुपए एमआरपी का प्रीमियम चार पीस ट्रैवल कॉम्बो सेट सिर्फ 1,699 रुपए में मिल रहा है। इसके अलावा 2,499 रुपए एमआरपी वाला ब्रांडेड कॉलेज व ऑफिस उपयोगी बैगपैक केवल 399 रुपए में उपलब्ध है। किंग साइज डबल बेडशीट सेट, जिसकी एमआरपी 1,899 रुपए है, उसे मात्र 499 रुपए में खरीदा जा सकता है। साथ ही ड्रीमलाइन माइक्रो फाइबर डिशमैट (एमआरपी 159 रुपए) विशेष ऑफर में सिर्फ 9 रुपए में दिया जा रहा है। सुमीत बाजार प्रबंधन के अनुसार यह ऑफर महिलाओं के सम्मान और ग्राहकों को किफायती खरीदारी का अवसर देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

जीके इलेक्ट्रिक और लोक सुविधा के बीच हुआ एमओयू साइन

रायपुर | थ्री व्हीलर ई-व्हीकल निर्माता कंपनी जीके इलेक्ट्रिक ने अपने ई-पैसेंजर एवं ई-कार्गो वाहनों के लिए फाइनेंसिंग सुविधा को सशक्त बनाने के लिए लोक सुविधा के साथ एक रणनीतिक साझेदारी (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग के तहत लोक सुविधा, जीके इलेक्ट्रिक के ग्राहकों को सरल और पारदर्शी फाइनेंस समाधान प्रदान करेगी, जिससे अधिक से अधिक ग्राहक और उद्यमी ई-मोबिलिटी को अपनाने में सक्षम हो सकेंगे। एमओयू

साइनिंग पर जीके इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर अमर परवानी, पुनीत परवानी एवं टीम उपस्थित रही। लोक सुविधा की ओर से निमिष लड्डा, फाउंडर एंड सीईओ मौजूद रहे।

हेल्थ प्लस

डाइट में सुधार से किडनी को रखें स्वस्थः डॉ. नमन पाठक

रायपुर | किडनी शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो रोजाना शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने, तरल

संतुलन बनाए रखने और रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम करती है। लेकिन किडनी की बीमारियां अक्सर बिना लक्षण के धीरे-धीरे विकसित होती हैं और अधिकतर मामलों में तब पता चलती हैं जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। इट्सा हॉस्पिटल्स के विशेषज्ञ डॉ. नमन महेश पाठक के अनुसार किडनी रोग के दो प्रमुख कारण डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर हैं। यदि इन स्थितियों को सही जीवनशैली और संतुलित खान-पान के जरिए नियंत्रित किया जाए तो किडनी को होने वाले नुकसान को काफी हद तक रोका या धीमा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किडनी की सुरक्षा की शुरुआत हमारी रोजमर्रा की डाइट से होती है। कई खाद्य पदार्थों में छिपी हुई चीनी, अस्वस्थ वसा और अधिक सोडियम मौजूद होता है, जो समय के साथ किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। इसलिए प्रोसेस्ड फूड की जगह ताजा भोजन चुनना, फूड लेबल पढ़ना और नमक का सेवन कम करना जरूरी है। डॉ. पाठक ने कहा कि सोडा और मीठे पेय पदार्थों में पोषण नहीं होता, लेकिन इनमें अधिक चीनी और खाली कैलोरी होती है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम और किडनी रोग का खतरा बढ़ा सकती है। इसी तरह प्रोसेस्ड मीट, फ्रोजन और रेडी-टू-ईट फूड में अधिक सोडियम और प्रिजर्वेटिव होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि स्वस्थ किडनी के लिए संतुलित आहार अपनाएं, ताजे फल-सब्जियां खाएं और नमक व प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करें।

एजुकेशन प्लस

विकसित भारत के लिए वैश्विक वैज्ञानिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन

रायपुर | मैट्स विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय की ओर से 11 और 12 मार्च को पंडरी स्थित इंपैक्ट सेंटर में 'विकसित भारत के लिए वैश्विक वैज्ञानिक कल्याण' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मनोज दयाल मुख्य अतिथि रहे, जबकि अध्यक्षता मैट्स विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केपी यादव ने की। मनोज दयाल ने वैज्ञानिक योगदान और वैज्ञानिक सोच के बीच अंतर बताते हुए शिक्षा में अंतःविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता बताई। कुलपति केपी यादव ने भारतीय ज्ञान प्रणाली और वसुधैव कुटुंबकम के मूल्यों पर प्रकाश डाला। सम्मेलन संयोजक व

विज्ञान संकायाध्यक्ष डॉ. आशीष सराफ ने बताया कि यह आयोजन अनुसंधान, नवाचार और सामाजिक विकास में विज्ञान की भूमिका पर केंद्रित है। कार्यक्रम कुलाधिपति गजराज पगारिया और महानिदेशक प्रियेश पगारिया के संरक्षण में आयोजित हो रहा है। तकनीकी सत्र में प्रो. केके शुक्ला और प्रो. डॉ. सुनीता साहू ने व्याख्यान दिए, जबकि दूसरे दिन प्रो. डॉ. रोहित शर्मा और प्रो. डॉ. सपना राय अपने विचार साझा करेंगे।

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.) पिन - 492001
फोन नंबर :- 0771-4918927
Email - office.rera.cg@gov.in, website- https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक : 335/रेरा/लेखा / 2026/1 रायपुर, दिनांक 10/03/2026

// सूचना //

विषय :- छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 में संशोधन बाबत् प्रस्ताव ।
विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 9 में खण्ड (1) विक्रय अनुबंध के निर्धारित 'परिशिष्ट - क ' एवं नियम - 14 में निम्नानुसार संशोधन किया जाना है-

क्र.	पूर्व से प्रतिस्थापित	नियम में संशोधन हेतु प्रस्ताव	औचित्य
1	नियम- 9 में (1) **विक्रय अनुबंध** के 'परिशिष्ट - क ' में नवीन कंडिका जोड़ा जाना है।	नियम 9 में खण्ड **(1) विक्रय अनुबंध** के 'परिशिष्ट - क ' (विक्रय के लिए करार) की कंडिका-ठ के पश्चात् कंडिका-ड निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- (ड) श्री / श्रीमान .... (रेरा अभिकर्ता पंजीयन क्रमांक .....) ('अभिकर्ता') ने केवल आबंटी (Allottee) का प्रमोटर (Promoter) से परिचय कराया है और इसे इस समझौते की शर्तों या छत्तीसगढ़ रेरा (RERA) को प्रकट की गई स्वीकृत जानकारी से परे किसी भी प्रकार का आश्वासन देने वाला नहीं माना जाएगा। एजेंट को अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत ' होना आवश्यक है, वह आवंटी से किसी भी प्रकार की राशि एकत्रित नहीं करेगा (यहाँ सहमत दलाली / ब्रोकर कमीशन को छोड़कर) तथा कोई भी झूठा या भ्रामक वक्तव्य नहीं देगा । प्रमोटर केवल रेरा पंजीकृत एजेंट को ही संलग्न करेगा और सटीक परियोजना विवरण संचार हेतु उपलब्ध कराएगा । आबंटी एजेंट के पंजीकरण का सत्यापन करेगा और केवल लिखित रूप से किए गए खुलासों पर भरोसा करेगा। एजेंट द्वारा किसी भी प्रकार की गलत बयानी की स्थिति में, आवंटी को कानून के तहत बिना इस समझौते के अंतर्गत अधिकारों को प्रभावित किए उपाय प्राप्त करने का अधिकार होगा ।	कंडिका-ड जोड़ा जाना आवश्यक है, ताकि आंबटी, प्रमोटर, अभिकर्ता के मध्य पारदर्शिता सुनिश्चित रहे, साथ ही समझौते की शर्तें रेरा अधिनियमों के अनुरूप प्रकट हो सके। अभिकर्ता द्वारा आबंटी को भ्रामक वक्तव्य कर राशि प्राप्त ना कर सके तथा आबंटी एवं प्रमोटर के मध्य सीधा राशि हस्तांतरण हो सके ।
2	नियम - 14 लेखा **पुस्तकें, अभिलेखों तथा दस्तावेजों का संधारण एवं संरक्षण**- भू-संपदा अभिकर्ता, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार लेखा पुस्तकें, अभिलेखों तथा दस्तावेजों का संधारण एवं संरक्षण करेगा।	**नियम - 14 लेखा पुस्तकें, अभिलेखों तथा दस्तावेजों का संधारण एवं संरक्षण**- भू-संपदा अभिकर्ता, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार लेखा पुस्तकें, अभिलेखों तथा दस्तावेजों का संधारण एवं संरक्षण करेगा । भू-संपदा अभिकर्ता प्रतिवर्ष लेखा पुस्तकें, अभिलेखों तथा दस्तावेजों का विवरण परिशिष्ट - द (Annexure- D) में प्रेषित करेगा ।	नियम में संशोधन आवश्यक है, ताकि अभिकर्ता द्वारा आबंटी / प्रमोटर से प्राप्त वित्तीय लेन-देन दलाली / ब्रोकर, कमीशन, विधि सम्मत हो, आय-व्यय की जानकारी उपलब्ध होने पर अनियमितता या धोखाधडी ना हो, अभिकर्ता एवं प्रमोटर के मध्य पारदर्शिता सुनिश्चित हो, अवैध वित्तीय लेन-देन पर नियंत्रण स्थापित हो ।

उक्त संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति / फर्म / संस्था को कोई आपत्ति अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत करना हो, तो वे इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपना अभिमत / आपत्ति लिखित रूप में छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों / अभ्यावेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा ।

रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू- संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

संवाद- 47160

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, लघु सिंचाई प्रमण्डल, चाईबासा

अल्पकालीन ई०–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या– **WRD/MID/CHAIBASA/ SBD-04/2025-26(DMFT)**

1. कार्य का नाम :–

ग्रुप संख्या	योजना का नाम	जिला	प्रखण्ड	प्राक्कलित राशि (लाख में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रूपये में)	अग्रधन की राशि (रूपये में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कासिरा पंचायत के बोंगसिदरी डोंबरोंबासा सरकारी तालाब से सेरेंगबिल सरकारी तालाब तक लघु सिंचाई नाली का निर्माण।	पश्चिमी सिंहभूम।	तांतनगर	328.608	10,000.00	328700.00	11 माह
2.	घोड़ाबांधा पंचायत के ग्राम–हल्दिया से हेपेरबुरू टोला पिंगुवासाई आंगनबाड़ी चौक से हेपेरबुरू पुरतीसाई तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	पश्चिमी सिंहभूम।	मझगांव	336.064	10,000.00	336100.00	11 माह
3.	बाईहातु पंचायत के ग्राम–बाईहातु मुख्य सड़क से बिर्लग हाट तक पी०सी०सी० एवं पुलिया निर्माण।	पश्चिमी सिंहभूम।	कुमारडुंगी	270.996	10,000.00	271000.00	11 माह
4.	सिन्द्रीगौरी पंचायत के ग्राम–बालान्डिया सीमा से सिन्द्रीगौरी उली पेड़ तक पक्का नहर का निर्माण।	पश्चिमी सिंहभूम।	हाटगम्हरिया	327.434	10,000.00	327500.00	11 माह

नोट :– केवल ई०–निविदा(**Online Mode**) ही स्वीकार होगा।

2. विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट **WWW.jharkhandtenders.gov.in** पर देखें।
3. बेवसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि एवं समय :– 04.04.2026 के 11:00 बजे पूर्वाहन् से।
4. ई०–निविदा मं भाग लेन की अंतिम तिथि एवं समय :– 10.04.2026 अपराह्न 03:00 बजे तक।
5. ई०–निविदा खोलन की तिथि एवं समय :– 11.04.2026 को 05:00 बजे अपराह्न ।
6. परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि सूचना प्रौद्यागिकी एवं ई–गवर्नस विभाग झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची क आदश सह ज्ञापांक 120, दिनांक 03.10.2023 क अनुरूप (**Online**) प्राप्त की जायेगी।
7. निविदा आमंत्रित करनेवाल पदाधिकारी का नाम, पता , दूरभाष सं0 एवं ई0मेल आई डी0– कार्यपालक अभियंता , लघु सिंचाई प्रमण्डल, चाईबासा/**9471742851** ई0मेल **&** eemidchaibasa@gmail.com, eemidchai-cemr-jhr@nic.in
8. निविदा के **B.O.Q** की राशि घट–बढ़ सकती है तदानुसार **B.O.Q** के मूल्य एवं अग्रधन की राशि मं बदलाव होगा ।
9. प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत से नीचे के दर से निविदित (**Quoted rate is more than 10% below the schedule rate**) के परिपेक्ष में पथ निर्माण विभाग झारखण्ड राँची के पत्रांक 2146(**S**) दिनांक 09.09.2020 के शर्तावली के अनुसार अतिरिक्त जमानत की राशि एकरारनामा करने के समय जमा करना अनिवार्य होगा ।
10. निविदा निश्पादन **Duuble Bid Envelope** पद्धति से किया जाएगा **Technical Bid** में सफल निविदादाता का ही **Financial Bid** खोला जाएगा। उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम का पत्रांक 1679, दिनांक 23.12.2022 के आलोक में निविदा डालने के समय चाईबासा जिलान्तर्गत किसी भी प्रमण्डल/विभाग द्वारा आवंटित कार्य एकरारित अवधि बीत जाने के बाद लंबित नही होने संबंधी शपथ–पत्र **Affidavit** देना होगा। निविदा के एक **NIT** में एक निबंधन पर दो से अधिक कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। वैसे संवेदक जो एकरारनामा में अंकित कार्य पूर्ण करने की तिथि तक योजनाओं का कार्य अधूरा रखे हुए हैं। उन्हें जिला अन्तर्गत चलने वाली किसी भी योजना में तब तक कार्य आबंटित नहीं किया जाएगा जब तक अपने पूर्व के कार्य को समाप्त न कर दं। जिला अन्तर्गत किसी भी विभाग का कार्य लम्बित होने की सूचना यदि इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो संबंधित संवेदक को कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा।

11- **Technical Bid** में **Qualify** करने वाल संवदकों/फर्म का ही **Financial Bid** खाला जाएगा।

12. निविदा शुल्क एवं अगधन की राशि का ई०–भुगतान सम्वेदक द्वारा जिस बैंक खाता से किया जाएगा। उसी खाते में अगधन की राशि वापस होगी। अगर बैंक खाता को बन्द कर दिया जाता है तो उसकी सारी जवाबदेही सम्वेदक की होगी
13. निविदा खोलने के की तिथि से 5 दिनों के अन्दर निविदादाता द्वारा अपनी आपत्ति/दावा दर्ज कराये अन्यथा अवधि बीतने के पश्चात् कोई भी आपत्ति/दावा मान्य नहीं होगा।
14. बिना कारण बताय किसी भी समय निविदा को रद्द करन का अधिकारी अधोहस्ताक्षरी का सुरक्षित रहेगा।

ह०/–
कार्यपालक अभियंता
लघु सिंचाई प्रमण्डल, चाईबासा

PR 374726 West Singhbhum (25-26)_D